छत्तीसगढ़ संवाद **(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)** **नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर** **जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़**	
<u>वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 यूनिपोल के इम्पेनलमेंट (द्वितीय निविदा आमंत्रण) हेतु नियम एवं शर्ते</u>	
क्र.	**नियम एवं शर्ते**
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के पास नगर पालिक निगम या नगर निगम अथवा शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार प्राप्त वैध यूनीपोल होने वाले एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया जा रहा है| जॉइंटवेंचर/ फेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा	
2	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2019-20 का न्यूनतम 50 लाख रुपए का होर्डिंग्स/यूनीपोल कार्य का टर्न ओवर होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा	एवं गत वर्ष का Audited Balance Sheet , Profit and loss account schedules के साथ प्रस्तुत करना होगा । C.A. द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र में होर्डिंग्स/यूनीपोल कार्य से सम्बंधित टर्नओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है|
3	एजेंसी को जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, वित्तीय वर्ष 2018-19 का इन्कमटेक्स रिटर्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न, की प्रतियां प्रस्तुत करना होगा	
4	एजेंसियों को निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप में "छत्तीसगढ़ संवाद" रायपुर के नाम से देय राशि 5 लाख रूपये एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 2360/- (दो हजार तीन सौ साठ रुपये, वापसी योग्य नही) का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना होगा।
5	निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा, एक टेक्निकल बिड (Bid) लिफाफा जिसमें (1) ऑन लाइन पंजीयन की पावती| (2) अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी| (3) यूनीपोल की विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार के संबंध में नगर पालिक निगम या नगर निगम अथवा शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है| (4) एजेंसियों को राजधानी नवा रायपुर अटल नगर तथा रायपुर नगर निगम पालिका, नगर निगम, अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था से विज्ञापन प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त यूनिपोल के स्थान, सड़क तथा कोड नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना है| (5) यूनिपोल का फोटो एल्बम यूनिपोल की साईज एवं होर्डिंग्स लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा| (6) पैनकार्ड, वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न की प्रतियां| (7) सी.ए. द्वारा प्रमाणित वित्तीय वर्ष 2019-20 का होर्डिंग्स/ यूनीपोल कार्य से संबंधित टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज तथा दूसरा लिफाफा फाइनेन्सियल बिड का होगा।
6	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पेनल तैयार करने के लिए
7	एजेंसियों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में वित्तीय दरें छत्तीसगढ़ के वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में ऑनलाइन भरना हैं एवं दर ऑनलाइन सबमिट करने के बाद प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी फाइनेशियल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है| टेक्निकल बिड के सभी वांछित दस्तावेज़ ऑफलाइन टेक्निकल बिड लिफाफा में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है|
8	निविदा मे प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित कर निर्धारित दरो मे कार्य करने मे सहमत एजेन्सियों की 3 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा| निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेन्सियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी	कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो मे पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा|

9	यूनिपोल हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित होर्डिंग्स/यूनिपोल समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कार्यादेश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
10	यूनिपोल लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/ मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें होर्डिंग्स की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसका उत्तरदायित्व सम्बंधित एजेंसी की होगी।
11	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा। कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एजेंसी द्वारा देयक की तिथि से नियत समय में निर्धारित जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करायी जानी होगी। एजेंसी के देयकों के भुगतान के समय एजेंसी द्वारा देयक में उल्लेखित तथा तदानुसार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।
12	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
13	आमंत्रित दर में मीडिया/ मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/ मटेरियल के मुद्रण हेतु निविदा किया जा रहा है। उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी।
14	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये एजेंसी निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे एजेंसी को 50 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी को कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है।
15	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नही होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओ से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
16	कार्य संपादन पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नही करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नही किया जायेगा।
17	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
18	नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति से जारी यूनिपोल की सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
19	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से आगामी तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
20	जो एजेंसी प्रस्तावित कार्य के लिए यदि L-1 है और कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण से जाहिर करता है तो उसे तीन माह तक कोई कार्य नहीं दिया जायेगा।
21	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कार्यादेश में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा।

22	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
23	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा|
24	व्यवहार मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर
जिला - रायपुर